

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि

प्रलिस के लिये:

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, MLATs के लिये भारत में नोडल एजेंसी और इसका कानूनी आधार, पोलैंड की अवस्थिति

मेन्स के लिये:

अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से निपटने में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLATs) की उपयोगिता, भारत-पोलैंड संबंधों का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और पोलैंड के बीच 'आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि' को मंजूरी दी है ।



प्रमुख बडि

- परचिय
 - पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (MLATs):

- आपराधिक मामलों में 'पारस्परिक कानूनी सहायता संधि' अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिये देशों के बीच की गई द्विपक्षीय संधियाँ हैं।
- ये समझौते हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच आपराधिक और संबंधित मामलों में साक्ष्य एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान की अनुमति देते हैं।
- **संधिका महत्त्व:**
 - **अपराध की जाँच और अभियोजन:** यह आपराधिक मामलों में सहयोग और पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जाँच तथा अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
 - **अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से इसका संबंध:** यह अपराध की जाँच और अभियोजन में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ अपराध साधनों तथा आतंकवाद को वित्तपोषित करने हेतु उपयोग धन का पता लगाने, रोकने एवं ज़ब्त करने के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करेगी।
 - **बेहतर इनपुट प्राप्त करना:** यह संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों में बेहतर जानकारी तथा अंतरदृष्टि प्राप्त करने में सहायक होगा।
 - जिसका उपयोग आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर नीतितगत नरिणियों के लिये किया जा सकता है।
- **भारत में नोडल एजेंसी:**
 - गृह मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिये नोडल मंत्रालय तथा केंद्रीय प्राधिकरण है।
 - वहीं जब मंत्रालयों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से ऐसे अनुरोध भेजे जाते हैं, तो वदेश मंत्रालय को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
- **कानूनी आधार**
 - **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)** की धारा 105 केंद्र सरकार द्वारा वदेशी सरकारों के साथ समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था का प्रावधान करती है।
 - भारत ने 42 देशों (नवंबर 2019) के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि/समझौते किये हैं।

भारत-पोलैंड संबंध

■ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत और पोलैंड के राजनयिक संबंध वर्ष 1954 में स्थापित हुए, जिसके पश्चात् वर्ष 1957 में वारसों में भारतीय दूतावास खोला गया।
- उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के वरिध के आधार पर दोनों देशों ने समान वैचारिक धारणाएँ साझा कीं।
- पोलैंड के 'कम्युनिस्ट युग' (1944 से 1989) के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध घनषिठ और सौहार्दपूर्ण थे, इस दौरान नयिमति उच्च स्तरीय यात्राओं के साथ, राज्य के व्यापारिक संगठनों द्वारा नयिोजति व्यापार और आर्थिक वार्ताओं का आयोजन किया गया।
- वर्ष 1989 में पोलैंड द्वारा लोकतांत्रिक मार्ग चुने जाने के बाद भी संबंध घनषिठ बने रहे।
- वर्ष 2004 में पोलैंड के **यूरोपीय संघ** में शामिल होने के बाद से दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए हैं और यह मध्य यूरोप में भारत के प्रमुख आर्थिक भागीदारों में से एक बन गया है।

■ आर्थिक और वाणज्यिक संबंध:

◦ नरियात:

- पोलैंड मध्य यूरोपीय क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और नरियात गंतव्य है, पछिले दस वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग सात गुना बढ़ रहा है।
- भारतीय आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य 2.36 बलियन अमेरिकी डॉलर था।

◦ नविश:

- पोलैंड में भारत का नविश **3 बलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक है।
- भारत में पोलैंड का कुल नविश लगभग **672 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है।

◦ प्रत्यक्ष वदेशी नविश (FDI):

- अप्रैल 2000 से मार्च 2019 तक भारत ने पोलैंड से **672 मिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक का **FDI** प्राप्त किया है जो भारत के कुल FDI प्रवाह का 0.16% है।

■ सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध:

- पोलैंड में इंडोलॉजी के अध्ययन की एक मज़बूत परंपरा है, पोलिश वद्वानों ने **19वीं शताब्दी की शुरुआत में संस्कृत का पोलिश** में अनुवाद किया था।
 - **इंडोलॉजी** भारत के इतिहास, संस्कृतियों, भाषाओं और साहित्य का अकादमिक अध्ययन है और इस तरह एशियाई अध्ययनों का एक भाग है।
- वर्ष 2019 में **महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ** का आयोजन पोलिश मशिन द्वारा किया गया।
 - पोलिश पोस्ट ((Poczta Polska) द्वारा **महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट** को जारी किया गया।
- **गुरु नानक देव जी** मशिन के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पोलैंड के गुरुद्वारा साहबि और पोलिश मशिन के द्वारा संयुक्त रूप से गुरुद्वारा साहबि, पोलैंड में समारोह का आयोजन किया।
- 21 जून, 2015 को पहला **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस** पोलैंड के 21 शहरों में आयोजित किया गया तथा लगभग 11000 लोगों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया गया था।

■ भारतीय समुदाय:

- पोलैंड में लगभग 10,000 भारतीय समुदाय के होने का अनुमान है जिसमें व्यापारी (वस्त्र, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स) शामिल हैं। जो बहुराष्ट्रीय या भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर/आईटी वशिषज्जों के साथ साम्यवाद तथा पेशेवरों के पतन के बाद आए थे, जिनमें भारतीय

छात्रों की बढ़ती संख्या भी शामिल थी।

आगे की राह:

- वर्ष 2017 में ब्लूमबर्ग द्वारा पोलैंड को 50 सबसे नवीन देशों में से एक के रूप में प्रशंसति कया गया था **औसह महत्त्वपूर्ण है कि भारत इसे मध्य यूरोप में प्रौद्योगिकी केंद्र तथा व्यापार करने के लिये अनुकूल स्थान के रूप में देखें।**
- **हरति प्रौद्योगिकियों, समार्ट सट्टी, साइबर सुरक्षा, फनिटेक और जल प्रबंधन** के मामले में पोलैंड एक मज़बूत देश है।
- पोलैंड ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारतीय नविशकों और नरियातकों को भी बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। पछिले 5 वर्षों में पोलैंड की रणनीतिक स्थिति, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और फार्मा बाज़ार में 25% की वृद्धि को देखते हुए **भारतीय नरियातकों तथा नविशकों के लिये यह अच्छा अवसर** हो सकता है।
- भारत और पोलैंड के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन हमारे बीच व्यापार को कोवडि-19 के कारण नुकसान हुआ है।
- **पोलैंड में बढ़ते भारतीय प्रवासी जिसमें लगभग 6,000 छात्र शामिल हैं।** यह एक नया कारक है जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत कया है।
 - पोलैंड तब से छात्रों के लिये और अधिक आकर्षक बन गया है जब से उसने **प्रमुख विश्वविद्यालयों में चकितिसा तथा इंजीनियरिंग में शकिसा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत** गई है
- कोवडि-19 से पहले दलिली से वारसा के लिये सीधी उडान होती थी। इससीधी उडान की बहाली से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध को मज़बूती प्रदान करेगी।

स्रोत: पी.आई.बी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mutual-legal-assistance-treaty-india-poland>

